

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

अरूणा मीना, निवासी ग्राम सुरैर, ग्राम पंचायत चांदेरा, तहसील सिकराय जिला दौसा
राजस्थान-

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एसडीएम) सिकराय जिला दौसा

अपील संख्या 148/2025

निर्णय

दिनांक 28.11.2025

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एसडीएम) सिकराय जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एसडीएम) सिकराय जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांत को वांछित नकल/ सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एसडीएम) सिकराय से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एसडीएम) सिकराय को पत्र क्रमांक: डीएम/कोर्ट/2025/2979 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा अपीलांत को वांछित सूचना अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एसडीएम) सिकराय ने पत्र क्रमांक: आरटीआई/2025/ 937 दिनांक 21.11.2025 के द्वारा वस्तुस्थिति की सूचना अपीलांत को भिजवाते हुए प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। उक्त पत्रादि की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांत को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।



(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

